संख्या- 195 /2026/ 2348 /चार-2026-1886120

प्रेषक,

राज कुमार,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊ: दिनांक: 20 अगस्त, 2026**

विषय:- एक भारत श्रेष्ठ भारत के अन्तर्गत स्वतन्त्रता दिवस समारोह-2026 के अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर होने वाले व्यय की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 1289/सं0नि0-15(51)/2026-27, दिनांक 12 अगस्त, 2026 एवं पत्र संख्या-1193/सं0नि0-15(51)/2026-27, दिनांक 06 अगस्त, 2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के अन्तर्गत गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी दिनांक 15 अगस्त, 2026 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश के विभिन्न प्रदेशों एवं उत्तर प्रदेश के कलाकारों के माध्यम से विधान सभा के समक्ष सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आयोजन कराया जाना प्रस्तावित है। यह भी अवगत कराया गया है कि उक्त कार्यक्रम के आयोजन में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों का मानदेय एवं किराया शासनादेश दिनांक 27.12.2022 में निहित व्यवस्थानुसार भुगतान किये जाने के साथ ही प्रतिभागी कलाकारों के आवास भोजन, स्थानीय यातायात विभाग द्वारा कराये गये निविदा की अनुमोदित दरों पर कलाकारों को सम्मानित किये जाने हेतु मोमेन्टो, अंगवस्त्र इत्यादि ओ०डी०ओ०पी० के माध्यम से एवं आवश्यक होने पर बाजार दर व सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग तथा सचिवालय प्रशासन की अनुमोदित दरों पर कराया जाना प्रस्तावित है, जिसका अनुमानित व्यय विवरण निम्नवत् है :-

क्र.सं.	मद का विवरण	धनराशि (लाख रू0 में)
1-	01 कोरियोग्राफर एवं 03 सह कोरियोग्राफर का मानदेय एवं मार्ग व्यय।	3.05
2-	कलाकारों का मानदेय एवं मार्ग व्यय	11.90
3-	06 दिवसीय कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों के आवास/भोजन पर व्यय (होटल गोमती एवं विभाग में सूचीबद्ध फर्म द्वारा)	24.00
4-	प्रतिभागी कलाकारों के स्थानीय यातायात पर व्यय (09-17 अगस्त, 2026, 09 दिवस)	8.90
5-	प्रतिभागी कलाकारों को मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा सम्मान स्वरूप चिकन कुर्ता, अंगवस्त्र, बैग, पुरस्कार इत्यादि दिये जाने पर व्यय।	14.50
6-	प्रतिभागी कलाकारों को प्रस्तुति प्रमाण पत्र, आई0डी0 कार्ड इत्यादि पर व्यय।	3.00
7-	05 दिवसीय पूर्वाभ्यास के दौरान कलाकारों के सूक्ष्म जलपान पर होने वाला व्यय।	6.00
8-	प्रोप्स, प्रस्तुति सामग्री आदि के क्रय पर होने वाल व्यय	2.50
	कुल योग (रूपये तिहत्तर लाख पच्चासी हजार मात्र)	**73.85**

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार एक भारत श्रेष्ठ भारत के अन्तर्गत दिनांक 15 अगस्त, 2026 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश के विभिन्न प्रदेशों एवं उत्तर प्रदेश के कलाकारों द्वारा विधान सभा के समक्ष सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के आयोजन पर होने वाले व्यय **रू0 73.85 लाख (रूपये तिहत्तर लाख पच्चासी हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रदान करते हुए, प्रस्तर-3 में उल्लिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है:-

3. <u>शर्तें/ प्रतिबन्ध -</u>

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण/ व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनाँक- 28-मार्च, 2026 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) निदेशक, संस्कृति निदेशालय, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य न तो पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(3) उक्त कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों का मानदेय एवं आवागमन भत्ता शासनादेश दिनांक 27.12.2022 में निहित व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान वास्तविक बिल/ बाउचर्स के आधार पर किया जायेगा।

(5) समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(6) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा।

(7) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा।

(8) संबंधित संस्था/ कलाकार द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल बाउचर के परीक्षणोपरान्त स्वीकृत धनराशि को संस्थान/ कलाकार के बैंक खाते में समयान्तर्गत भुगतान कराने की कार्यवाही संस्कृति निदेशालय द्वारा कराते हुए यथाशीघ्र शासन को सूचित किया जायेगा।

(9) धनराशि व्यय करने में समस्त वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4. उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-800-अन्य व्यय-24-एक भारत श्रेष्ठ भारत-42-अन्य व्यय मद में उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा।

5. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय- ज्ञापसंख्या-4/2026/बी-1-812/ दस-2026- 231/2025, दिनाँक-28 मार्च, 2026 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
राज कुमार
संयुक्त सचिव

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मनोज कुमार
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in